



आदिवासी समाज में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण: गुमला जिले की उराँव जनजाति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

सोनम कुमारी^{1*}, डॉ. एस. के. गुप्ता²

1. रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर, कर्लिंगा यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

kumarisonam7688@gmail.com ,

2. प्रोफेसर, कर्लिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश: यह शोध गुमला जिले की उराँव जनजाति की महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि शिक्षा किस प्रकार आदिवासी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन का माध्यम बनती है, और किन सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण यह प्रक्रिया बाधित होती है। शोध में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि आयु, शिक्षा स्तर, आर्थिक स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता और बैंकिंग पहुँच जैसे घटक महिला सशक्तिकरण को गहराई से प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से 29-36 वर्ष की शिक्षित महिलाएँ परिवर्तन के केंद्र में हैं, जबकि अधिकांश महिलाएँ अभी भी पारिवारिक निर्णयों, आर्थिक व्यय और राजनीतिक सहभागिता में सीमित भूमिका निभाती हैं। यह अध्ययन आदिवासी समुदायों में महिलाओं की यथास्थिति को उजागर करता है और शिक्षा को उनके सशक्तिकरण का प्रमुख साधन मानता है।

मुख्य शब्द: उराँव जनजाति, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन, गुमला, आदिवासी समाज

----- X -----

परिचय

भारत का आदिवासी समाज अपने विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। इन समाजों में महिलाओं की भूमिका न केवल परिवार के दायरे तक सीमित रही है, बल्कि कृषि, वनोपज, पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक संरचना में भी उनका अहम योगदान रहा है। फिर भी, इनकी सामाजिक स्थिति लंबे समय तक उपेक्षित और सीमित रही है, विशेष रूप से शिक्षा और निर्णयात्मक अधिकारों के क्षेत्र में।

झारखंड राज्य के गुमला जिले में निवास करने वाली उराँव जनजाति राज्य की प्रमुख जनजातियों में से एक है। यह जनजाति परंपरागत रूप से कृषक, वन-आश्रित तथा सामुदायिक जीवन शैली में विश्वास रखने वाली रही है। परंतु बदलते समय और विकास की लहर के साथ इस समुदाय में भी बदलाव की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है, विशेषकर महिलाओं की भूमिका और दृष्टिकोण में।

आज जब 'सशक्तिकरण' एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का विषय है, तब आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में यह चर्चा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा, इस सशक्तिकरण की आधारशिला है, जो महिलाओं को केवल साक्षर ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह प्रक्रिया महिलाओं को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में प्रभावी भूमिका निभाने की शक्ति प्रदान करती है।

इस अध्ययन का उद्देश्य गुमला जिले की उराँव महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और उससे जुड़े सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन यह जांचता है कि किस प्रकार शिक्षा महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला रही है, साथ ही वे कौन-सी बाधाएँ हैं जो इस प्रक्रिया को सीमित कर रही हैं। यह शोध वर्तमान परिदृश्य में आदिवासी महिलाओं की यथास्थिति को समझने और उन्हें सशक्त बनाने के उपायों को चिन्हित करने का एक प्रयास है।

उद्देश्य

- झारखंड में आदिवासी महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

- जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करना।

कार्यप्रणाली

वर्तमान अध्ययन में वर्णनात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य गुमला जिले की उराँव जनजाति की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इस शोध में विशेष रूप से यह जानने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा ने आदिवासी महिलाओं के जीवन, सोच और व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन लाया है।

डेटा स्रोत

शोध में द्वितीयक स्रोतों (सरकारी दस्तावेज़, जनगणना रिपोर्ट, किताबें, शोध पत्र आदि) के साथ-साथ प्राथमिक आंकड़े भी एकत्र किए गए हैं।

प्रश्नावली

प्राथमिक डेटा संग्रह हेतु संरचित प्रश्नावली तैयार की गई। निरक्षर उत्तरदाताओं के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया।

नमूना आकार

अध्ययन के लिए बहुस्तरीय नमूनाकरण विधि अपनाई गई, जिसमें गुमला जिले के चयनित गाँवों की उराँव महिलाएँ प्रमुख उत्तरदाता थीं।

अध्ययन क्षेत्र

शोध क्षेत्र झारखंड के गुमला जिले में केंद्रित रहा, जहाँ उराँव जनजाति प्रमुखता से निवास करती है। झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है, जिनमें उराँव जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

परिणाम और डेटा विश्लेषण

इस अध्ययन का सार यह है कि गुमला जिले की उराँव जनजाति की महिलाओं का सशक्तिकरण उनकी आयु, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और सामाजिक भागीदारी से गहराई से जुड़ा हुआ है। 29-36 वर्ष की महिलाएँ सबसे अधिक सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हैं, जबकि वृद्ध महिलाएँ अपेक्षाकृत स्थिर और सकारात्मक अनुभव रखती हैं। जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, महिलाओं में बदलाव की संभावना बढ़ती है और अवरोध कम होता है। अधिकांश महिलाएँ ₹5000 से कम मासिक आय अर्जित करती हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए कार्यरत हैं। निर्णय लेने, आर्थिक व्यय और बैंकिंग स्वतंत्रता में महिलाओं की सहभागिता सीमित है। राजनीतिक भागीदारी मुख्यतः मतदान तक सीमित है, हालांकि आरक्षण के प्रति जागरूकता संतोषजनक है। कुल मिलाकर, यह अध्ययन दर्शाता है कि उराँव महिलाओं का सशक्तिकरण बहु-आयामी चुनौतियों से प्रभावित है।

आयु के अनुसार उत्तरदाता

भारतीय संदर्भ में किसी लड़की की आयु उसकी सामाजिक स्थिति, अधिकारों और भूमिकाओं को निर्धारित करती है। विवाह योग्य आयु के आसपास उसकी शिक्षा, करियर और स्वतंत्रता पर सामाजिक दबाव बढ़ जाता है। अविवाहित महिलाओं को आज भी सामाजिक सम्मान में कमी का सामना करना पड़ता है। विवाह के बाद उन पर संतान और परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, जिससे उन्हें अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पीछे छोड़ना पड़ता है। इस स्थिति का प्रभाव महिलाओं के जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता और उनके सशक्तिकरण पर पड़ता है।

तालिका 1: आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

आयु	बदला		अरकोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
< 20	6	2.88	2	1.52	8	2.35
21-28	40	19.23	41	31.06	81	23.82
29-36	52	25.00	45	34.09	97	28.53
37-44	48	23.08	25	18.94	73	21.47
45 और उससे अधिक	62	29.81	19	14.39	81	23.82
कुल	208	100	132	100	340	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि गुमला जिले की उराँव जनजाति में 29-36 वर्ष की महिलाएँ सर्वाधिक सक्रिय हैं, जिनमें बदलाव और अरकोसा दोनों उच्च स्तर पर देखे गए। 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएँ भी उल्लेखनीय संख्या में हैं और उनमें सामाजिक बदलाव की दर सबसे अधिक है। वहीं 21-28 वर्ष की युवा महिलाएँ अरकोसा से अधिक प्रभावित हैं। 20 वर्ष से कम आयु की महिलाएँ संख्या में कम हैं और सामाजिक परिवर्तन में उनकी भागीदारी सीमित है। संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं की भूमिका सबसे प्रभावशाली है।

शैक्षिक योग्यता के अनुसार उत्तरदाता

शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण का एक प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। यह न केवल ज्ञान और शक्ति का स्रोत है, बल्कि मानव कल्याण का भी आधार है। भारत में विशेष रूप से कमजोर वर्गों—जैसे अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़े समुदायों—के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संवैधानिक और बजटीय प्रावधान हैं। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम के अनुसार, शिक्षा समाज की संरचना को प्रतिबिंबित करती है और उसे बनाए रखते हुए धीरे-धीरे बदलने की क्षमता रखती है।

तालिका 2: शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

शैक्षिक योग्यता	बदला		अरकोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	18	8.65	15	11.36	33	9.71
प्राथमिक	49	23.56	62	46.97	111	32.65
माध्यमिक	60	28.85	36	27.27	96	28.24
यूजी	45	21.63	6	4.55	51	15.00
स्नातक	21	10.10	9	6.82	30	8.82
पीजी	15	7.21	4	3.03	19	5.59
कुल	208	100	132	100	340	100

उपरोक्त तालिका का सार यह है कि गुमला जिले की उराँव जनजाति की महिलाओं में शिक्षा का स्तर उनके सामाजिक बदलाव और अवरोध से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाएँ सर्वाधिक हैं लेकिन उनमें अरकोसा की दर सबसे अधिक है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में बदलाव की संभावना अधिक और अरकोसा की संभावना कम पाई गई है। वहीं, अशिक्षित महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक अवरोधों का सामना करती हैं। कुल मिलाकर, यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का उच्चतर स्तर महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उन्नति में सहायक है।

आर्थिक और महिला सशक्तिकरण

भारतीय समाज परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान रहा है, इसलिए अधिकांश अधिकार और शक्ति पति के पास ही होती है, चाहे महिला शिक्षित हो या अच्छी नौकरी करती हो। ऐसी स्थिति में महिला के पास परिवार के संसाधनों पर नियंत्रण या अधिकार कम ही होता है, और उसे अपनी ज्यादातर आवश्यकताओं के लिए पति पर निर्भर रहना पड़ता है।

हालांकि, पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति कई क्षेत्रों में सुधरी है। वे शैक्षिक रूप से अधिक उन्नत हुई हैं, बेहतर वेतन वाली नौकरियाँ पाने के अधिक अवसर प्राप्त कर रही हैं और परिवार की अधिकांश जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं। महिलाओं की बाहरी दुनिया तक पहुँच बढ़ी है, साथ ही वे प्रबंधक, प्रशासक, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे प्रतिस्पर्धी पदों पर कार्य कर उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं। यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं ने खुद को पुरुषों के समकक्ष साबित कर दिया है।

काम करने के कारण

नौकरी मिलने के कारणों को लेकर कई मान्यताएँ प्रचलित हैं। चूंकि रोजगार के अवसर सशक्तिकरण की प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए काम करने के पीछे के कारणों के बारे में उत्तरदाताओं की धारणा पर विस्तृत जानकारी एकत्र की गई है, जिसे तालिका 3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3: काम करने के कारणों के बारे में धारणा के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

कारण	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
क्योंकि मैं शिक्षित हूँ	22	10.58	6	4.55	28	8.24
अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूँ	94	45.19	47	35.61	141	41.47
आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना	54	25.96	35	26.52	89	26.18
एनआरएसपी	38	18.27	44	33.33	82	24.12
कुल	208	100	132	100	340	100

काम के घंटे

भारत में हर व्यक्ति को आम तौर पर एक दिन में कम से कम आठ घंटे काम करना पड़ता है, चाहे वह निजी या सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हो। अगर वह कुटीर उद्योग जैसे स्वरोजगार में लगी हुई है, जो उसका अपना उद्यम हो सकता है, तो वह आठ घंटे से ज़्यादा काम कर सकती है।

तालिका 4: दैनिक कार्य घंटों के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

कार्य समय	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
कोई निश्चित समय नहीं	56	26.92	29	21.97	85	25.00
3-5 घंटे	28	13.46	11	8.33	39	11.47
6-8 घंटे	57	27.40	45	34.09	102	30.00
9 घंटे अधिक	29	13.94	3	2.27	32	9.41
एनआरएसपी	38	18.27	44	33.33	82	24.12
कुल	208	100	132	100	340	100

तालिका 5: आय के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

आय	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
कोई निश्चित नहीं	22	10.58	8	6.06	30	8.82
1000 तक	4	1.92	2	1.52	6	1.76

3000 तक	30	14.42	26	19.70	56	16.47
5000 तक	74	35.58	34	25.76	108	31.76
10,000 तक	19	9.13	12	9.09	31	9.12
10,000 +	21	10.10	6	4.55	27	7.94
एनआरएसपी	38	18.27	44	33.33	82	24.12
कुल	208	100	132	100	340	100

दो गांवों के मामले में तालिका से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (31.76 प्रतिशत) की मासिक आय 5000 रुपये प्रति माह तक है, इसके बाद अनिर्धारित मासिक आय 8.82 प्रतिशत, 1000 रुपये प्रति माह तक 1.76 प्रतिशत, 3000 रुपये प्रति माह तक 16.47 प्रतिशत, 10000 रुपये प्रति माह तक 9.12 प्रतिशत और 10000 रुपये प्रति माह से अधिक 7.94 प्रतिशत है। लगभग 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। बदला गांव के संबंध में संबंधित डेटा क्रमशः 10.58 प्रतिशत, 1.92 प्रतिशत, 14.42 प्रतिशत, 35.58 प्रतिशत, 9.13 प्रतिशत, 10.10 प्रतिशत हैं। अध्ययन के अंतर्गत अरकोसा गांव के मामले में ये आंकड़े क्रमशः 6.06 प्रतिशत, 1.52 प्रतिशत, 19.70 प्रतिशत, 25.76 प्रतिशत, 9.09 प्रतिशत, 4.55 प्रतिशत हैं। निष्कर्ष रूप से, अध्ययन के अंतर्गत गांवों में लगभग 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 5000 रुपये प्रति माह से कम है। इसलिए, उत्तरदाताओं की आर्थिक तंगी उनके सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण कारकों में से एक हो सकती है।

कार्यस्थल पर विशेषाधिकारों तक पहुंच

सरकार ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराए हैं जैसे समान काम के लिए समान वेतन, मातृत्व अवकाश जैसे विशेष लाभ, कार्यस्थल पर शिशुगृह, लंबे समय तक काम करने पर प्रतिबंध आदि सामाजिक सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। इन सुरक्षा उपायों के साथ-साथ पुरुषों के बराबर सुविधाओं का वैधानिक प्रावधान भी है जिसे तालिका 6 में संकलित करके दिया गया है।

तालिका 6: पुरुषों के साथ समान सुविधाओं के बारे में धारणा के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

प्रतिक्रिया	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत

हां	103	49.52	52	39.39	155	45.59
नहीं	67	32.21	36	27.27	103	30.29
एनआरएसपी	38	18.27	44	33.33	82	24.12
कुल	208	100	132	100	340	100

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि बदला गाँव के 49.52 प्रतिशत और अरकोसा गाँव के 39.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें पुरुषों के बराबर सुविधाएँ मिलती हैं। हालाँकि, बदला गाँव के 32.21 प्रतिशत और अरकोसा गाँव के 27.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि उन्हें पुरुषों के बराबर सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। बदला गाँव के 18.27 प्रतिशत और अरकोसा गाँव के 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वे कार्यरत नहीं थे।

परिवार पर निर्भरता

परिवार पर निर्भरता महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तालिका 7 में जानकारी दी गई है।

तालिका 7: परिवार की निर्भरता के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

निर्भरता	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पूरी तरह	92	44.23	48	36.36	140	41.18
आंशिक रूप से	80	38.46	63	47.73	143	42.06
बिल्कुल नहीं	36	17.31	21	15.91	57	16.76
कुल	208	100	132	100	340	100

तालिका 7 दर्शाती है कि उरांव समुदाय में महिलाएँ अपने परिवार पर ज़्यादा निर्भर हैं। बदला गाँव के लगभग 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं और अरकोसा के 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि वे पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर हैं। दोनों गाँवों के 42.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि वे आंशिक रूप से माता-पिता और आंशिक रूप से पति के परिवार पर निर्भर हैं। जबकि केवल 16.76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि वे अपने परिवार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हैं।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

घरेलू गतिविधियों, भुगतान और अवैतनिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी उनकी स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

तालिका 8: निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

सक्रिय भागीदारी	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	43	20.67	29	21.97	72	21.18
कभी-कभी	47	22.60	23	17.42	70	20.59
नहीं	97	46.63	68	51.52	165	48.53
एनआरएसपी	21	10.10	12	9.09	33	9.71
कुल	208	100	132	100	340	100

तालिका 8 से पता चलता है कि बदला गांव के 20.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं और अरकोसा के 21.97 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि वे हमेशा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, मुख्यतः पारिवारिक खर्च और सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर। बदला गांव के लगभग 22.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं और अरकोसा गांव के केवल 17.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन केवल कभी-कभी। बदला गांव के 46.63 प्रतिशत उत्तरदाताओं और अरकोसा गांव के 51.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि वे किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई हिस्सा नहीं लेते हैं। इस प्रकार यह देखा गया है कि आदिवासी समुदाय में महिलाएं पिछड़ी रही हैं और यह निश्चित रूप से महिला सशक्तीकरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

व्यक्तिगत आय के व्यय के बारे में पति से चर्चा

पति या ससुराल वालों से सलाह लेना आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों समुदायों में आम बात है। इस तरह की बातचीत हमेशा परिवार के स्तर पर उसकी स्थिति को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद करती है जो सशक्तिकरण की प्रक्रिया से निकटता से जुड़ी हुई है।

तालिका 9: व्यक्तिगत आय व्यय करने के लिए पति/बुजुर्ग के साथ चर्चा के अनुसार उत्तरदाता

चर्चा	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	127	61.06	71	53.79	198	58.24
कभी-कभी	43	20.67	17	12.88	60	17.65
नहीं आय	38	18.27	44	33.33	82	24.12
कुल	208	100	132	100	340	100

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि दोनों गांवों के 58.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी कमाई को खर्च करने के मामले में हमेशा पति या बड़ों से चर्चा करती हैं। जबकि बदला गांव के केवल 17.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं और अरकोसा गांव के 12.88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे कभी-कभी अपनी कमाई या आय को खर्च करने के मामले में पति या बड़ों से चर्चा करती हैं। इससे पता चलता है कि उरांव महिलाओं के पास अपनी आय को खर्च करने की शक्ति या स्वतंत्रता नहीं है।

बैंक खाते तक पहुंच

यह आर्थिक सशक्तिकरण का एक पहलू है कि महिलाओं के पास स्वतंत्र रूप से लेन-देन करने के लिए अपना स्वयं का बैंक खाता है।

तालिका 10: बैंक खाते के स्वामित्व के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

बैंक खाता	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत

हाँ	81	38.94	53	40.15	134	39.41
नहीं	127	61.06	79	59.85	206	60.59
कुल	208	100	132	100	340	100

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 39.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास अपना बैंक खाता है और 60.59 प्रतिशत उरांव महिलाओं के पास अपना बैंक खाता नहीं है।

भागीदारी के क्षेत्र

उपर्युक्त चर्चा के क्रम में राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के व्यापक क्षेत्रों के बारे में एक गहन प्रश्न पूछा गया।

तालिका 11: सक्रिय भागीदारी के कारणों के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

प्रतिक्रिया	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
निर्णयकर्ता	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पंचायत	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पार्टी कार्यकर्ता	13	6.25	7	5.30	20	5.88
मतदान	122	58.65	80	60.61	202	59.41
एनआरएसपी	73	35.10	45	34.09	118	34.71
कुल	208	100	132	100	340	100

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 59.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि वे मतदान में भाग लेते हैं या चुनाव के दौरान वोट डालते हैं। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भागीदारी की रिपोर्ट नगण्य संख्या में उत्तरदाताओं द्वारा की गई है। हालांकि, दोनों गांवों के अधिकांश उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यह दर्शाता है कि राजनीति में सक्रिय भागीदारी अभी भी कम है। राजनीति में महिलाओं के आरक्षण के बारे में जागरूकता के बारे में जानकारी एकत्र की गई है और तालिका 12 में दी गई है।

तालिका 12: राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में जागरूकता के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

उत्तरदाता	बदला		आर्कोसा		कुल	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	143	68.75	87	65.91	230	67.65
नहीं	65	31.25	45	34.09	110	32.35
कुल	208	100	132	100	340	100

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि दोनों गांवों के 67.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आरक्षण के बारे में जानकारी है और 32.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अभी भी राजनीति में आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उराँव जनजाति की महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो आयु, शिक्षा, आय स्तर, पारिवारिक निर्भरता, निर्णय लेने की भागीदारी और राजनीतिक जागरूकता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। 29-36 वर्ष की महिलाएँ सामाजिक परिवर्तन की धुरी पर हैं, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक सशक्त और स्वतंत्र हैं। हालांकि, अधिकांश महिलाएँ आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में उनकी सहभागिता सीमित है। शिक्षा, आय और संस्थागत पहुँच जैसे तत्वों में सुधार कर महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर और सक्षम बनाया जा सकता है। नीति-निर्माताओं, सामाजिक संस्थाओं और समुदाय को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण केवल शब्दों में नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी दिखाई दे।

संदर्भ

- बासु, ए. (2005). भारत में महिलाओं की स्थिति और प्रजनन व्यवहार. भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा, 7(2), 151-170.
- राव, एम. (2004). महिला सशक्तिकरण और विकास का राजनीतिक अर्थशास्त्र. समाजशास्त्र वार्षिकी, 23(1), 45-62.

3. शरण, आर. (2011). आदिवासी महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक स्थिति का अध्ययन. भारतीय जनजातीय अध्ययन जर्नल, 18(3), 112-126.
4. सिंह, आर. (2010). ग्रामीण महिला सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण. भारतीय समाजशास्त्र जर्नल, 39(4), 58-72.
5. जोशी, ए. (2015). झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति. शिक्षा विमर्श, 9(1), 89-99.
6. प्रसाद, के. (2012). जनजातीय विकास में शिक्षा की भूमिका. समकालीन समाजशास्त्र, 14(2), 102-115.
7. देवी, एम. (2013). आदिवासी महिलाएँ और निर्णय लेने की प्रक्रिया: एक क्षेत्रीय अध्ययन. महिला अध्ययन पत्रिका, 20(1), 33-47.
8. शर्मा, वी. (2014). महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन. भारतीय सामाजिक विमर्श, 16(2), 88-101.
9. कुमार, बी. (2017). शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता: झारखंड की महिलाओं पर एक अध्ययन. आर्थिक और सामाजिक विकास पत्रिका, 11(3), 71-84.
10. त्रिपाठी, पी. (2018). आदिवासी महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता: चुनौतियाँ और संभावनाएँ. राजनीति विज्ञान समीक्षा, 25(2), 55-67.
11. मिश्रा, एल. (2016). उराँव जनजाति में सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा का प्रभाव. जनजातीय अध्ययन शोधपत्र, 10(1), 44-58.
12. नंदी, एस. (2019). महिला सशक्तिकरण के सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम. समाज और संस्कृति, 13(4), 97-110.
13. झा, ए. (2015). बैंकिंग और वित्तीय समावेशन में महिलाओं की भूमिका. वित्तीय नीति समीक्षा, 8(2), 39-52.
14. घोष, आर. (2012). आदिवासी महिलाओं की जीविका और सामाजिक सुरक्षा. भारतीय नीति जर्नल, 19(3), 66-79.
15. वर्मा, एस. (2020). झारखंड में जनजातीय महिलाओं का जीवन अनुभव: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण. समाज अध्ययन त्रैमासिक, 17(2), 73-86.